न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री राकेश कुमार गुप्ता, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 33 / 2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 हेमसिंह पुत्र भैरूसिंह 2 केशरसिंह पुत्र स्व. गणपतसिंह 3 भगवानसिंह पुत्र भैरूसिंह 4 भवानीसिंह पुत्र जब्बरसिंह जातियान राजपूत निवासीगण करणू तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 राजूसिंह पुत्र गोपालसिंह 2 मघसिंह पुत्र रूघनाथसिंह 3 हीरसिंह पुत्र कालूसिंह जातियान राजपूत निवासीगण धोलिया डेर तहसील खींवसर जिला नागौर। 4 सरपंच, ग्राम पंचायत करणू पंचायत समिति खींवसर जिला नागौर जरिये सरपंच।

उपस्थिति–

1 श्री कुन्दनसिंह आचीणा अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से

2 श्री डूंगरराम चौधरी, अप्रार्थी संख्या 01 से 3 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 28.12.2023

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत समिति खींवसर, ग्राम पंचायत करणू द्वारा पट्टा संख्या 82 मिसल संख्या 82 दिनांक 04.04.1956 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.08.21 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 06.09.21 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की ओर से श्री डूंगर राम चौधरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 04 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा संख्या 82 की फोटोप्रति पेश की। ग्राम पंचायत करणू, पंचायत समिति खींवसर ने अपने पत्र क्रमांक 131 दिनांक 10.07.2023 के द्वारा रिकॉर्ड उपलब्ध होना नहीं बताया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण पुराने समय से एक ही ग्राम पंचायत करणू के निवासी है। प्रार्थीगण ग्राम पंचायत करणु के ग्राम करणु में पीढियो से निवास करते आ रहे है।

2(2)–ग्राम पंचायत करणू द्वारा दिनांक 04.04.1956 को एक फर्जी पटटा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता गोपालसिंह, रूघनाथसिंह पिसरान कालूसिंह व हीरसिंह पिसरान कालूसिंह के नाम से जरिये मिसल नम्बर 82 पट्टा संख्या 82 जारी किया था जिसके पडोस निम्न है– उत्तर में– सडक नागौर–फलौदी, दक्षिण में–आम रास्ता भैरूसिंह का, पूर्व में–आम रास्ता, पश्चिम में–आम रास्ता भैरूसिंह का।

2(3)– उक्त भू भाग का ग्राम पंचायत करणू के तत्कालीन सरपंच सोहनसिंह द्वारा जारी किया गया फर्जी पटटा जारी होने से पूर्व से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण का कब्जा है तथा इस भू भाग का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इसी भू भाग पर प्रार्थीगण के पिता व दादा ने आज से करीब 150 वर्ष पूर्व कोटडी (बैठक रूम) का निर्माण करवाया। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण आज भी कर रहे है तथा अप्रार्थीगण का इस भू भाग पर न तो कब्जा पूर्व में रहा है, न ही आज दिनांक को है। प्रार्थीगण व उसके पूर्वत पीढियो से इस भू भाग पर निवास करते आ रहे है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। आज दिनांक को भी प्रार्थीगण का कब्जा है।

2(4)– पटटा जेर पुनरीक्षण विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टिया निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी करवाने हेतु पंचायती राज नियम के अनुसार प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र ग्राम सचिव को दिया जाता हैं, उस पत्र को ग्राम सचिव दर्ज रजिस्टर करेगा, फाईल खोलेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पटटा जारी करने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया गया, न ही पत्रावली खोली गई, इसलिए पंचायती राज नियम का उल्लंघन होने से फर्जी तरीके से जारी किया गया पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(6)– पंचायती राज नियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पटटा जारी करने से पूर्व सचिव द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचो की नियुक्ति कर कमेटी बनाई जाती है। हस्तगत प्रकरण में सचिव द्वारा कोई तीन पंचो की कमेटी नहीं बनाई गई है। केवल मात्र सरपंच द्वारा खाली पटटा फॉर्म भरकर प्रार्थीगण को दिया गया है।

2(7)– पंचायती राज नियम के अनुसार स्थल निरीक्षण हेतु पंचो की नियुक्ति अंतिम विनिश्चय व नोटिस का जारी और प्रकाशित किये जाने से पहले होती है हस्तगत प्रकरण में किसी भी प्रकार की कमेटी की नियुक्ति नहीं की गई है न ही नोटिस जारी किया गया हैं, न ही आपति जारी की गई है। इस कारण जारी किया गया पटटा पूर्णतया गलत, अनुचित व अवैध है, इस आधार पर जारी किया गया फर्जी पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

2(8)– उक्त प्रकरण मे जो पटटा जारी किया गया हैं, वो विधि अनुसार नहीं होने के कारण पटटा खारिज होने योग्य है।

2(9)– उक्त प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम के किसी भी नियम की कोई पालना नहीं हुई है जबकि उक्त नियम आज्ञापक प्रकृति के हैं, जिनकी पालना किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती इसके आधार पर उक्त पटटा निरस्त किये जाने योग्य है।

2(10)–उक्त प्रकरण में खुली पडी भूमि पर फर्जी पटटा जारी करके ग्राम पंचायत करणू को लाखों रूपये के राजस्व का नुकसान पहुंचाया हैं, इस आधार पर भी पटटा खारिज होने योग्य है।

2(11)–उक्त प्रकरण के बारे में प्रार्थीगण को ज्ञात जब हुआ है, तब आज से करीब छः माह पूर्व अप्रार्थीगण उनके पास आये और उनको कहा कि उक्त भूमि पर हमारा पटटा है तथा हमे उन्होने पटटे की फोटोप्रति दी, जब पता चला कि प्रार्थीगण के कब्जासुदा व पुश्तैनी भूमि पर तो अप्रार्थीगण व उनके पूर्वजो ने फर्जी पटटा जारी करवा लिया गया हैं, हालांकि पंचायती राज नियम में पुनरीक्षण याचिका पुस्तुत करने की कोई भी समयावधि का उल्लेख नहीं है फिर भी सर्वप्रर्थम जानकारी आज से करीब 6 माह पूर्व हुई थी, इस कारण याचिका अंदर मियाद प्रस्तुत की गई।

3– अप्रार्थी संख्या 01 से 03 ने अपने जवाब में बताया कि उक्त पटटा पंचायती राज अधिनियम के नियमानुसार जारी किया गया है, अगर ग्राम पंचायत ने पटटे से संबंधित रिकॉर्ड नष्ट होना बताया तो इसमें पट्टाधारी की कोई गलती नहीं है। अतः उक्त निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाने योग्य है।

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत पंचायत समिति खींवसर, ग्राम पंचायत करणू द्वारा पट्टा संख्या 82 मिसल संख्या 82 दिनांक 04.04.1956 को निरस्त किये जाने को लेकर निगरानी प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत के पत्र क्रमांक 131 दिनांक 10.07.2021 के अनुसार ग्राम पंचायत करणू में वर्ष 1995–96 में भंयकर बाढ आ जाने के कारण ग्राम पंचायत कार्यालय में पानी भराव हो गया जिससे वर्ष 1995 से पहले का समस्त रिकोर्ड नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि ग्राम पंचायत करणू ने उक्त पटटा बनाते समय पंचायती राज अधिनियम के नियमो की पालना नहीं की हो। प्रार्थीगण ने प्रस्तुत निगरानी में पट्टा दिनांक 04.04.1956 को जारी होना बताया है जबकि प्रस्तुत पट्टे की फोटोप्रति में पट्टा दिनांक 4.4.1958 जारी होना अंकित है, ऐसे में निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तथ्यों के मध्यनजर प्रस्तुत जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार गुप्ता)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर